संख्या- 973/1-11-2004-रा0-11- सी॰ एम॰- 12/2003

प्रेषक,

श्री अनन्त कुमार सिंह,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ:दिनांक: 21 अप्रैल,2004

विषय: राहत कार्य हेतु जिलाधिकारियों को अधिकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपदा प्रभावित लोगों को शीघ्रातिशीघ्र राहत पहुँचाना शासन की प्राथमिकता है । प्रभावित लोगों को दी जाने वाली राहत के मानक शासनादेश संख्या-जी.आई.-81/1-11-2003-रा0-11-46/96, दिनांक 11 जुलाई,2003 द्वारा परिचालित किये गये हैं ।अग्निकाण्ड से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत पहुँचाने की दृष्टि से खाद्य सामग्री,दियासिलाई,पालीथीन शीट, मोमबत्ती,किरासन तेल आदि का वितरण करने के लिये जिलाधिकारी के अधिकृत न होने के कारण जनपदों में राहत वितरण का कार्य कुप्रभावित हो रहा है ।लोगों की तात्कालिक अपेक्षा इन्हीं वस्तुओं की होती है । वर्तमान में इन तथा राहत कार्य से जुड़े कतिपय अन्य मदों पर मानक निर्धारित करने का अधिकार राज्य स्तरीय आपदा समिति में निहित है ।उत्तर प्रदेश का एक बड़ा प्रदेश है अतएव इन मदों के लिये पूरे प्रदेश के लिये एक मानक व्यावहारिक नही होगा । राहत कार्य की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(1) अग्निकाण्ड/पेयजल/सूखे के कारण जन एवं पशु स्वास्थ्य की समस्या से प्रभावित जनपदों में वांछित राहत कार्य सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए शासनादेश संख्या-जी.आई.-81/1-11-2003-रा0-11-46/96, दिनांक 11 जुलाई 2003 के संलग्नक-2 के मद संख्या-9,10,11,12,14,21 एवं 22 के अन्तर्गत व्यय के औचित्य के संबंध में निर्णय लेने तथा उन पर आवश्यकतानुसार समुचित धनराशि व्यय करने के लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किया जाता है ।

(2) मद संख्या-14 में भोजन हेतु प्रति वयस्क रू0 20/- तथा अवयस्क रू0 10/- प्रतिदिन की दर से व्यय अनुमन्य होगा । अस्थायी आवास, पेयजल आदि पर वास्तव में किया गया व्यय अनुमन्य होगा ।ये सुविधायें अधिकतम 07 दिनों के लिए प्रदान की जा सकेंगी ।

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(अनन्त कुमार सिंह)
सचिव एवं राहत आयुक्त ।

संख्या- 973 (1)/1-11-2004,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0 शासन ।
2. प्रमुख सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, शासन।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
7. सचिव, पशुधन विभाग,उ0प्र0 शासन ।
8. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, उ0प्र0 ।
9. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 ।
10. निदेशक,पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
12. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद,उ0प्र0 लखनऊ ।
13. महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद ।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
15. गार्ड फाइल,राजस्व अनुभाग-10/11

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
अनु सचिव ।